संख्या-35/2020/391/छप्पन-2020-09/2014

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 08 मई, 2020

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय के पायलटों के उपयोगार्थ आई-पैड के लिए 4 जी इन्टरनेट सेवा प्राप्त किये जाने हेतु सेवा प्रदाता परिवर्तित कर मेसर्स जियो कम्पनी से सेवा प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-87/2015/1593/छप्पन-15-9/2014 दिनांक 09 नवम्बर, 2015 के क्रम में अपने पत्र संख्या: 36/ना0उ0नि0/आप्स-46/2016 दिनांक 25 फरवरी,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेसर्स वोडाफोन के स्थान पर न्यूनतम 1.5 जी0बी0 प्रतिदिन इन्टरनेट सुविधा युक्त मेसर्स जियो कम्पनी की सेवा प्राप्त करने और उसका भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर तथा अधिकतम सीमा रू0 500/- प्रतिमाह (रू0 6000/- प्रतिवर्ष) तक कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2015 में यह संशोधन किया जाता है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय के 18 पायलटों के उपयोगार्थ आई-पैड के लिए 3 जी इन्टरनेट सेवा की सुविधा प्रदाता कम्पनी मेसर्स वोडाफोन के स्थान पर 4 जी इन्टरनेट की सुविधा युक्त 1.5 जी0बी0 डेटा प्रतिदिन हेतु मेसर्स जिओ कम्पनी से सेवा प्राप्त कर ली जाए एवं कम्पनी द्वारा समय-समय पर डेटा प्लान बदलते रहने के दृष्टिगत निदेशक, नागरिक उड्डयन,उ0प्र0 को अधिकृत किया जाता है कि रू0 6000/- प्रति वर्ष की सीमा में लम्बी अवधि के रिचार्ज के सम्बन्ध में समय-समय पर स्वयं के स्तर से निर्णय लेते रहेंगे।

3- अत: शासनादेश संख्या:-87/2015/1593/छप्पन-15-9/2014 दिनांक 09 नवम्बर, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7- 475/दस-2020 दिनांक 8 मई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 35/2020/391(1)/छप्पन-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
(4) वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।